स्पीड पोस्ट से

एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/पीओएल सं.-04/ /2004-05

06 सितम्बर, 2004

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों के लिए

प्रिय महोदय,

विषय : आवास वित्त कंपनियों की ओर से विनियामक अपेक्षाओं का उल्लंघन -
दंड लगाने के लिए दिशा-निर्देश

जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के उपबंधों एवं उनके अधीन निर्मित आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देशों का आवास वित्त कंपनियों द्वारा सर्वथा पालन और उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है । तथापि, यह पाया गया है कि स्थलेत्तर सर्वेक्षण और स्थलीय पर्यवेक्षण के दौरान कुछेक आवास वित्त कंपनियां इस आज्ञापक अनुपालन की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं दे रही हैं और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम तथा निर्देश, दोनों का उल्लंघन कर रही हैं । अतःआवास वित्त कंपनियों को इन उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने, अनुपालन करने और किसी भी उल्लंघन की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सूचित किया जाता है ।

इस प्रसंग में, आवास वित्त कंपनियों का ध्यान तत्रैव अधिनियम की धारा 52ए की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित निर्देशों के किसी उल्लंघन के लिए, किसी भी आवास वित्त कंपनी पर दंड अधिरोपित करने के लिए सशक्त है । बैंक द्वारा यह विनिश्चित किया गया है कि अनुपालन नहीं किया जाने के लिए ये दांडिक उपबंध 01 अक्तूबर, 2004 से लागू हो जाएंगे ।

विभिन्न विनियामक मानदंडों के संबंध में ऐसे उल्लंघन के लिए दंड अनुलग्नक में दिया गया है । दंड लगाने के दिशा-निर्देया निम्न प्रकार से होंगे :-

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की आ`र से संबंधित आवास वित्त कंपनी को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें विनियामक अपेक्षा के साथ अनुपालन नहीं करने के कारणों सहित और पत्र जारी करने की तारीख से इक्कीस दिनों की अनधिक की उपयुक्त समयावधि के भीतर कंपनी द्वारा संदेय दंड तथा उल्लंघन की प्रकृति स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

ख. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दंड लगाने का विनिश्चय एक बार किया जाने पर, दंड के भुगतान के लिए तीस दिनों का समय देते हुए, संबंधित कंपनी को दंड की मांग का एक नोटिस जारी किया जाएगा ।

ग. जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर कंपनी की ओर से निर्धारित समय के बाद पांच कार्य दिवसों के भीतर नहीं दिया जाने की स्थिति में, राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से कंपनी को दंड की मांग का एक नोटिस दिया जाएगा ।

घ. यदि कंपनी मांग के नोटिस में निर्धारित विहित अवधि के भीतर दंड का भुगतान करने में विफल रहती है, तब दंड का भुगतान करने के लिए कंपनी को सात दिनों का समय देते हुए अनुस्मारक जारी करके एक और अवसर दिया जाएगा । भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, किसी प्रधान सिविल न्यायालय, जिसका क्षेत्राधिकार उस क्षेत्र तक है, जहां पर कंपनी का पंजीकृत अथवा मुख्य कार्यालय स्थित है, की ओर से किए गए निर्णय पर दंड उद्ग्रहित किया जाएगा ।

कृपया पावती दें ।

भवदीय,

सहायक महाप्रबंधक
विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग

संलग्न : यथोपरि